# प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

## अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

**यूआईडी संख्या: UPFS/2026/215505/KPN/KANPUR NAGAR/5845/CFO**

**दिनांक: 24-08-2026**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DR. VIRENDRA SWARUP EDUCATION CENTRE** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **EMERALD GULISTAN PLOT NO 2, SCHEME NO. 39,JAJMAU,KANPUR NAGAR** तहसील - **SADAR** जिसमें

| ब्लॉक/टावर | तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|---|---|---|---|
| BUILDING BLOCK | 4 | 1 | 14.85 mt. |

तथा प्लाट एरिया **7500.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **DR. VIRENDRA SWARUP EDUCATION CENTRE** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनाँक **26-08-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUMIT KUMAR E-Mail ID : VSECJAJMAU@GMAIL.COMMobile No. : 8173921292** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-08-2026** से **25-08-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

**Note :** Operational Since Long, Hence, The Renewal NOC is issued as per NBC-2016 & F&ES ACT 2022/RULES 2024 for (G+3) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-7:

1.To Maintain Fire & Life Safety & Smoke Management System as per the Norms Always.
2.To Comply for Electrical Safety Audit MANDATORILY for entire Premises.
3.The Basement will be COMPLETELY RESTRCITED for EDUCTAIONAL / COMMERCIAL USE.
4.To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY Approval &The Drawing Approval is Mandatory from COMPETENT AUTHORITY.
5.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation as per the above Conditions or Wrong FSSO Report.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

**(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)**

Digitally Signed By
(DEEPAK SHARMA)

[4FEC601B249D8FA095483F08197433CBE5D301AC]

26-08-2026

**निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-08-2026**
**स्थान : KANPUR NAGAR**